न्यायालय कलक्टर जिला एवं मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी **अन्तर सिंह नेहरा**
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
34 / प्रार्थना पत्र / 20

तारीख निर्णय
23.06.2020

एस.आर.जी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड,
मुख्य व्यावसायिक कार्यालय, 321 एस.एम.लोडा
कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर (राजस्थान)
जर्ये प्राधिकृत अधिकारी।

— प्रार्थी

बनाम

1.श्री रामेश्वर मीणा पुत्र श्री छीतरलाल मीणा,
निवासी ग्राम छपावदा, सरकारी स्कूल के पास,
तहसील तालेडा, जिला बून्दी **(ऋणी व बंधककर्ता)**
2.श्रीमती इन्द्रा बाई पत्नी श्री रामेश्वर मीणा,
निवासी ग्राम छपावदा, सरकारी स्कूल के पास,
तहसील तालेडा, जिला बून्दी (सहऋणी व बंधककर्ता)
3.श्री बंटीकुमार पुत्र श्री रामलाल जाति मीणा,
निवासी ग्राम डगलवाडा, पोस्ट बाजड़
तहसील तालेडा, जिला बून्दी (जमानती)
4.श्री सोमा मारू भाट पुत्र श्री छोगालाल जाति भाट,
निवासी ग्राम डगलवाडा, पोस्ट बाजड़
तहसील तालेडा, जिला बून्दी (जमानती)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से श्री अजीत कुमार जोशी, एडवोकेट।
अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

आदेश

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, उदयपुर द्वारा अप्रार्थी श्री रामेश्वर मीणा व अन्य के खाते दिनांक 05.09.2018 तक कुल बकाया ऋण राशि मय ब्याज 2,94,135 रूपये 44 पैसे (अक्षरे दो लाख चौरान्वे हजार एक सौ पैंतीस रूपये चौवालिस पैसे) एवं तत्पश्चात् ब्याज की वसूली के क्रम में मोरगेज बाय डिपोजिट ऑफ टाईटल डीड्स के अन्तर्गत प्रतिभूति श्री रामेश्वर मीणा की आवासीय सम्पत्ति, जो पट्टा बुक संख्या 7 दिनांक 30.03.2017, संकल्प संख्या 4(2) दिनांक 20.03.2017 ग्राम छपावदा, ग्राम पंचायत बाजड, पंचायत समिति तालेडा, जिला बून्दी (राजस्थान) पर स्थित है, जिसका माप लगभग 720 वर्ग फीट है, जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, को बतौर प्रतिभूतिस्वरूप बंधक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए सहयोग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी का अवलोकन किया गया। वित्त विभाग (Department of Financial Services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 के अनुसार SRG HOUSING FINANCE LIMITED को Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) (2002 का 54) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट,2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 11.09.2018 को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया, जिस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया एवं उसने ऋण राशि जमा नहीं करवाई। सरफेसी एक्ट,2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना उचित है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तालेडा (जिला बून्दी) को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बंधकस्वरूप सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी SRG HOUSING FINANCE LIMITED मुख्य व्यावसायिक कार्यालय, 321 एस.एम.लोढा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर (राजस्थान) को दिलाने के लिए उसके चाहे जाने पर नियमानुसार आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावें एवं आवश्यक हो तो पुलिस अधीक्षक, बून्दी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को आवश्यकता होने पर पुलिस सहायता प्रदान करने हेतु निर्देश प्रदान करे। पत्रावली फैसले होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आजदिनांक 23.6.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/6/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Antar Singh Nehra
Date: 2020.06.30 10:05:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: